



2026:AHC:50123

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5229 वर्ष 2025

राजेश

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता : सुरेश यादव

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए योजित की गई है:

"i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 (जिला उप संचालक चकबंदी, जनपद बांदा) को निर्देशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 28.07.2025 को विधि के अनुसार निस्तारित करें और न्याय के हित में इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(2) के आलोक में ग्राम चंदौर, परगना और तहसील अतर्रा, जनपद बांदा के चक संख्या 83 के संबंध में वाद संख्या 11 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2012 को क्रियान्वित करें।

ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा जिला उप संचालक चकबंदी, जनपद बांदा (प्रत्यर्थी संख्या 3) को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 28.07.2025 (संलग्नक संख्या 4) को निस्तारित करने तथा राजस्व अभिलेखों में याचिकाकर्ता और उनके वारिसों का नाम नामांतरित करने हेतु निर्देशित किया जाए।"

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि राज्य प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत प्रतिपादित विधि के प्रावधानों के तहत चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2012 को प्रभावी नहीं कर रहे हैं।
3. यह तर्क दिया गया है कि संबंधित इकाई/ग्राम को उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत वि-अधिसूचित कर दिया गया है। उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(1) के तहत चकबंदी प्रक्रिया निरस्त होने से पूर्व, चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2012 अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है क्योंकि इसे किसी भी पक्ष द्वारा किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। अतः, उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुपालन में राज्य प्राधिकारी उक्त आदेश को भू-अभिलेखों में लागू करने के लिए विधिक रूप से बाध्य हैं।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत का निराकरण अधिक उपयुक्त रूप से उप संचालक चकबंदी द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत दर्शाते हुए प्रस्तुत किए जाने वाले नए प्रत्यावेदन को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।
5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस प्रकरण को लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः यह न्यायालय मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 3 (जिला उप संचालक चकबंदी) के समक्ष आज से दो सप्ताह के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति और वर्तमान रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें, जो स्वयं या कानून के अनुसार आवश्यक सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से, विधि के अनुसार त्वरित गति से, अधिमानतः उसके पश्चात तीन माह की अवधि के भीतर, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो, विचार कर निस्तारित करेंगे।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11 मार्च, 2026

सुषमा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।